

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांक:- ३४ /अ-59/2017-18/ ५१८३

बैतूल दिनांक 14/ 5/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 08 रा. नि. मण्डल शाहपुर तहसील शाहपुर द्वारा तहसीलदार शाहपुर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम सालीमेट तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 39 रकबा 0.202 हेक्टेयर मद चरनोई की भूमि पर, छतन पिता रामलाल जाति परधान, अमरलाल पिता सुन्दर जाति गोंड, अमरजीत पिता सुन्दर जाति गोंड, रामबाई पति शिवकुमार परधान मकान बनाकर निवासरत् है। अतएव उक्त खसरा नंबर में से 0.050 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

2- हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार शाहपुर द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) शाहपुर के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा सालीमेट तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 39 रकबा 0.202 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.050 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 14-4-2018 को आयोजित ग्राम पंचायत सालीमेट की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक- 10 पारित किया जाकर, मौजा सालीमेट स्थित खसरा नंबर 39 रकबा 0.202 हेक्टेयर में से 0.050 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने अनुशंसा की गई है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा सालीमेट तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 39 रकबा 0.202 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 में उक्त खसरा नंबर घाँस मद में दर्ज है।

(4)- ग्राम सालीमेट का मकबूजा रकबा 445.726 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 9.662 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से न्यूनतम 8.914 हेक्टेयर चरनोई का रकबा उपलब्ध होना आवश्यक है। वर्तमान में ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा, न्यूनतम रक्षित रकबे से अधिक है। चरनोई के उपलब्ध रकबे में से 0.050 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने के उपरांत भी चरनोई का न्यूनतम रक्षित रकबा प्रभावित नहीं होगा।

(5)- उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर तहसीलदार शाहपुर /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर द्वारा मौजा सालीमेट तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 39 रकबा 0.202 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.050 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाएं पृथक रख सकता है तथा उपधारा- (3) के अनुसार चारागाह, घाँस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि



[Handwritten signature]

को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गों, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, वेद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवर्तित किया जा सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि मे से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांक:- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तहसीलदार शाहपुर /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा सालीमेट तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 39 रकबा 0.202 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.050 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लालस्याही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।



(मूलानन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पू0क्र0:- > 8 /अ-59/2017-18/ 5983
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 14/5/2018

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार शाहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 5- सचिव ग्राम पंचायत सालीमेट जनपद पंचायत शाहपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.